न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 281 सन 2024
अनवान :–

1. चौथु पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12/11/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा भूमि वादी व राजीराम पुत्र लच्छीराम जाति जाट साकिन सिरगसर बहिब के गैर खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा भूमि वादी व रजीराम पुत्र लच्छीराम ने बहिब नोतोड करदा भूमि थी जो लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के समय वाद भूमि वादी व रजीराम के कब्जा काश्त में होने के कारण खातेदार काश्तकार हो गये थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादी एव रजीराम के कब्जा काश्त में होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गये थे।

पैमाईश हाल में विवादित भूमि रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023 की 24. 09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा भूमि में से रजीराम पुत्र लच्छीराम को तो उसके हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया मगर वादी के हिस्से की भूमि को वादी के नाम गैर खातेदार ही दर्ज रखा गया जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है

रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023/2 की 1.8840हैक व खसरा न0 1014 की 2.6180हैक भूमि जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा राणी रायकान के खसरा न0 1023/2 की 1.8840हैक व खसरा न0 1014 की 2.6180हैक भूमि का वादी को बतोर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी ने वाद भूमि के खातेदारी अधिकार चाहे गये है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा भूमि वादी व राजीराम पुत्र लच्छीराम जाति जाट साकिन सिरगसर बहिब के गैर खातेदार काश्तकार थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा भूमि वादी व रजीराम पुत्र लच्छीराम ने बहिब नोतोड करदा भूमि थी जो लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के समय

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वादी व रजीराम के कब्जा काश्त में होने के कारण खातेदार काश्तकार हो गये थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादी एव रजीराम के कब्जा काश्त में होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गये थे।

पैमाईश हाल में विवादित भूमि रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा भूमि में से रजीराम पुत्र लच्छीराम को तो उसके हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया मगर वादी के हिस्से की भूमि को वादी के नाम गैर खातेदार ही दर्ज रखा गया जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है

रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023/2 की 1.8840हैक्ट व खसरा न0 1014 की 2.6180हैक्ट भूमि जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा राणी रायकान के खसरा न0 1023/2 की 1.8840हैक्ट व खसरा न0 1014 की 2.6180हैक्ट भूमि का वादी को बतोर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गय

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा वादी व राजीराम पुत्र लच्छीराम जाति जाट साकिन सिरगसर नाम से दर्ज है उक्त भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी रायकान के खसरा न0 1023/24.09 बीधा एव खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा भूमि वादी व राजीराम पुत्र लच्छीराम जाति जाट साकिन सिरगसर के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी एवं नामान्तकरण संख्या 165 दिनांक 20.08.1977 एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों से पूर्णतया साबित है उक्त कथनों को पेरोकार राज के द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 165 के अनुसार रोही मौजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा कुल 34.16 बीधा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व का नोतोड काश्तकार होने के कारण वादी चौथु पुत्र भगवाना एवं रजीराम पुत्र लिच्छीराम को बहिब आवंटन की गई थी उसी के अनुसार नामान्तकरण संख्या 165 दर्ज किया गया था व भूमि नोतोड करने के उपरान्त आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त कथनों का परोकार राज ने कोई प्रतिरोध नही किया गया है।

रोही मौजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा एव खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा कुल 34.16 बीधा बहिब चौथु वल्द भगवाना व रजीराम पुत्र लिच्छीराम को बहिब नोतोड करदा भूमि थी उसी के अनुसार नामान्तकरण संख्या 165 दर्ज किया जाकर चौथु वल्द भगवाना व रजीराम पुत्र लिच्छीराम को बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज किया गया था जो लगातार जमाबन्दीयों गिरदावरीयों में दर्ज चला आ रहा है जो प्रस्तुत जमाबन्दीया गिरदावारीयों से पूर्णत्या साबित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा एव खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा कुल 34.16 बीधा बहिब चौथु वल्द भगवाना व रजीराम पुत्र लिच्छीराम को बहिब बतौर गेरखातेदार दर्ज चली आ रही थी रजिराम पुत्र लिच्छीराम ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि के सम्बध में कानुनी कार्यवाही की जाकर रोही मौजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की कुल 17.08 बीधा भूमि जो रजिराम पुत्र लिच्छीराम के कब्जा काश्त में थी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जिसके अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया था जो प्रस्तुत नामान्तकरण से पूर्णत्या साबित है शेष रोही मौजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 7.05 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा भूमि वादी चौथु वल्द भगवाना के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया जो लगातार दर्ज चला आ रहा है।

रोही मोजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 7.05 बीधा को हाल खसरा न0 1023 की 1.8840हैक्ट व खसरा न0 1014 की 2.6180हैक्ट कुल 4.5020हैक्ट भूमि में पैमुद किया गया है जो लगातार दर्ज चला आ रहा है तथा वादी के लगातार कब्जा काश्त में दर्ज चला आ रहा है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी रोही मोजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 1.8840हैक्ट व खसरा न0 1014 की 2.6180हैक्ट भूमि का अलाटी है तथा निरन्तरण भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज चला आ रहा है किस भी न्यायालय का स्थगन आदेश या किसी प्रकार को कोई विवाद नही है वाद भूमि चौथु वल्द भगवाना के निरन्तर कब्जा काश्त में दर्ज चली आ रही है।

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10.1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नही किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे स्वीकार योग्य नही है क्योकि वर्तमान में रोही मौजा ढाणी राईकान उपनिवेशन क्षेत्र धोषित हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षैत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्तव 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित एव सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काशत में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर क... ...यों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये ... सक... है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित ... अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07. 03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

रोही मौजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा , खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा कुल 34.16 बीधा भूमि वादी चौथुराम वल्द भगवाना व रजिराम पुत्र लिच्छीराम को बहिब आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत नामान्तकरण से पूर्णत्या साबित है।

रोही मोजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा , खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा कुल 34.16 बीधा जो चौथु वल्द भगवाना व रजिराम वल्द लिच्छीराम को बहिब आवंटन की गई थी में से रजिराम वल्द लिच्छीराम ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की खसरा न0 1023 की 17.08 बीधा भूमि के खातेदार अधिकार प्राप्त कर लिये थे उसी के अनुसार जरिये नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है शेष भूमि खसरा न0 1023 की 07.05 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा चौथु वल्द भगवाना के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज कर दिया जो लगातार दर्ज चला आ रहा है

वादी को वाद भूमि आवंटन होने के पश्चात वादी के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी चौथु वल्द भगवाना को आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा कुल 34.16 बीधा भूमि चौथुराम वल्द भगवाना व रजिराम वल्द लिच्छीराम को बहिब आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत नामान्तकरण से साबित है आवंटन रिकार्ड रूम में उपलब्ध नही होने के कारण पेश करने में असमर्थ है किन्तु वाद भूमि वादी व रजिराम को आवंटन होना प्रस्तुत नामान्तकरण सें पूर्णत्या साबित है तथा आवंटन के सम्बध में स्वय तहसीलदार की रिपोर्ट से भी पूष्टि होती है वादी को वाद भूमि आवंटन होने व लगातार कब्जा काश्त में चले आने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही है वाद भूमि लगातार कब्जा काश्त प्रस्तुत जमाबन्दीयों /गिरदावारीयों एवं मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित होता है।

रोही मौजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1023 की 24.09 बीधा व खसरा न0 1014 की 10.07 बीधा कुल 34.16 बीधा भूमि चौथुराम वल्द भगवाना व रजिराम वल्द लिच्छीराम को बहिब आवंटन के बाद उक्त भूमि में से खसरा न0 1023 की 17.08 बीधा भूमि जो रजिराम पुत्र लिच्छीराम के कब्जा काश्त में थी के खातेदारी के आदेश जारी होने पर नियमानुसार जरिये नामान्तकरण रजिराम पुत्र लिच्छीराम को बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर चौथु वल्द भगवाना को बतौर गैरखातेदार दर्ज रखा गया जो प्रस्तुत नामान्तकरण से साबित है।

रोही मोजा ढाणी राईकान के खसरा न0 1014 की 2.6180हैक व खसरा न0 1023 की 1.8840हैक कुल 4.5020हैक भूमि जो चौथु वल्द भगवाना के कब्जा काश्त की भूमि थी जिस राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज कर रखा है वाद भूकिम आवंटन से लेकर आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली हा रही है जिसके सम्बध में कोई वाद /विवाद नही है तथा वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल की जा चुकी है वादी अब उपनिवेशन नियमों के तहत एवं समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 402/408 के खसरा न0 1014 की 2.6180हैक व खसरा न0 1014 की 1.8840हैक कुल 4.5020हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की बारानी आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. चौथु पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 281 सन 2024 निर्णय दिनांक – 12/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 402/408 के खसरा न0 1014 की 2.6180हैक व खसरा न0 1014 की 1.8840हैक कुल 4.5020हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की बारानी आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे ।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested